जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-04.08.2025**

प्रेस नोट

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत युवक के गोली लगने की घटना में लिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिस्टल 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद -

ज्ञात हो कि दिनांक 02.08.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्ग ग्राम मवी और मामौर के बीच में मजरूब रोहित पुत्र स्व0 देवेद्र निवासी ग्राम कुराड थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा को 02 अज्ञात बदमाशो द्वारा गोली मारे जाने की घटना की सूचना थाना कैराना पुलिस को दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर मु0अ0सं0 468/2025 धारा 109(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना प्रभारी कैराना को निर्देशित किया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे हत्या/लूट/अपहरण की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामौर में युवक के गोली लगने की घटना में लिप्त 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुए है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.नितिन उर्फ ब्लैकी पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम कुराड थाना सनौली जनपद पानीपत राज्य हरियाणा।

घटना का विवरण- दिनांक 02.08.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मवी से ग्राम मामौर जाते समय रास्ते में ट्रैक्टर सवार रोहित पुत्र स्व0 देवेद्र निवासी ग्राम कुराड थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा अपने साथीयों नितिन उर्फ ब्लैकी पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम कुराड थाना सनौली जनपद पानीपत व अन्य के साथ जा रहा था तभी रास्ते में नितिन उपरोक्त अपनी अवैध पिस्टल को चेक करते समय लापरवाही से गोली रोहित के पैर में जाकर लगी। रोहित को तत्काल परिजनो द्वारा पानीपत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तथा उसके परिजनो द्वारा थाना कैराना पर किसी अज्ञात द्वारा गोली मारने के सम्बन्ध मे दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त के विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलित किये गये तो पता चला कि उपरोक्त प्रकरण केवल एक दुर्घटना है, जिसमें प्रकाश में आये अभियुक्त नितिन उर्फ ब्लैकी पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम कुराड थाना सनौली जनपद पानीपत को

गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त नितिन द्वारा बताया गया है कि हम सभी लोग टैक्टर से ग्राम मामौर को जा रहे थे कि तभी रास्ते में मैं अपनी अवैध पिस्टल को चैक कर रहा था कि तभी चैक करते समय धोखे से पिस्टल से गोली चल गयी थी जो रोहित के पैर मे जा लगी थी।

<u>बरामदगी का विवरण -</u>

1.01 अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3- है0का0 पंकज कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4- का0 रिंकू राणा थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामलें में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 05.07.2025 को थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 04.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.अंकुर उर्फ अंकुश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अलीपुर थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री री राजकुमार बघेल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 हरिओम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3. है0का0 मोहित कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशा
श्री सन्तोष कुमार सिंह
अपर पुलिस अधीक्षक/
नोडल अधिकारी SPEL 2.0
जनपद शामली
Shot on OnePlus

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग-अलग 04 मामले में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 13,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2018 में अभियुक्त राजू पुत्र दुर्जन निवासी ढोकल ढोडा हफीजाबाद सेफूपुर थाना बागर जनपद उन्नाव हाल पता नौकुँआ रोड कोतवाली शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 276/2018 धारा- 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 04.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय बैठने तक की अवधि की सजा व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2022 में अभियुक्त कासिम पुत्र यासीन निवसी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 696/2022 धारा- 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2005 में अभियुक्त रफ्फा पुत्र यासीन निवसी बहानपुरा थाना कैरानाल जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 111/2005 धारा- 392 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.-वर्ष 2023 में अभियुक्त खुर्शीद उर्फ पहलवान पुत्र कीमा निवासी पलकेड़ी थाना गढ़ीपुख़्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख़्ता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 116/2023 धारा- 379,411,465,471 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 30.07.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI